न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 177 / 2024
अनवान : –

1. सुभाषचन्द्र पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

3. ओमप्रकाश पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. रेशमा पत्नी रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–तरतीबी **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220 / 178 की कुल 4.2380हैक्ट वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

रिवाईज्ड चक प्लान में उक्त खाता में दर्ज खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाता स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौक पर रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311 / 368 (51) के किला न0 3 व 4 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प0न0 311 / 368(51) के किला न0 3 / 1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0खाला व 4 / 1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है परन्तु मौका पर खाला नही है राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है

रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220 / 178 के प0न0 31 / 368(51) के किला न0 3 / 1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकीन कर किला न0 3 / 2 में शामिल कर किला न0 3 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि व किला न0 4 / 1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 4 / 2 में शामिल किया जाकर किला न0 4 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि दर्ज करने का अधिकारी है

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी 2 को निवेदन किया की उक्त किलो की भूमि को गै0मु0 से मुमकिन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के खाता में दर्ज कर देवे तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 के प0न0 31/368(51) के किला न0 3/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकीन कर किला न0 3/2 में शामिल कर किला न0 3 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि व किला न0 4/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 4/2 में शामिल किया जाकर किला न0 4 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत कर होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे तथा अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग ने अपने रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 की कुल 4.2380हैक्ट वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

रिवाईज्ड चक प्लान में उक्त खाता में दर्ज खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाता स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौक पर रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311/368 (51) के किला न0 3 व 4 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प0न0 311/368(51) के किला न0 3/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0खाला व 4/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है परन्तु मौका पर खाला नही है राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है

रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 के प0न0 31/368(51) के किला न0 3/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकीन कर किला न0 3/2 में शामिल कर किला न0 3 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि व किला न0 4/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 4/2 में शामिल किया जाकर किला न0 4 की 0.253हैक्ट नहरी भूमि दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सरुक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 की कुल 4.2380हैक्ट वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी एव तरतीबी प्रतिवादी की उक्त भूमि के प0न0 311/368(51) के किला न0 3/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0खाला व 4/1 की [illegible] गै0मु0 खाला दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी का कथन है कि रोही मौजा चक [illegible] केएनएन के प0न0 311/368 (51) के किला न0 3 व 4 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प0न0 311/368(51) के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किला न0 3/1 की 0.0260हैक गै0मु0खाला व 4/1 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला दर्ज है परन्तु मौका पर खाला नही है ना ही सिचाई विभाग की रिपोर्ट /रिकार्ड में खाला स्वीकृत किया गया है मात्र राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज है जिसे वादी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311/368 (51) के किला न0 3/1 की 0.026हैक व किला न0 4/1 की 0.250हैक भूमि में राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज है किन्तु मौके पर खाला नही है किसी प्रकार के खाला का निर्माण नही हुआ है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संधासन खण्ड नोहर ने अपने पत्रांक 348 दिनांक 03.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311/368 के किला न0 3/1 ,3/2 ,4/1, 4/2 में खाला नही है संशोधित चक प्लान में से खाला स्वीकृत नही किया गया है इसलिये उक्त किला में दर्ज गैरमुमकिन खाला की भूमि को मुमकिन किये जाने की अभिशषां की जाती है।

पेरोकार राज द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एव अधिशाषी अभियन्ता जल ससांधन खण्ड नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311/368 के किला न0 3 ,4 में मौका पर कोई खाला का निर्माण नही है ना ही मौके पर कोई खाला चल रहा है या पक्का खाला का निर्माण किया गया हो इसी प्रकार सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रिवाईज्ड चक प्लान में उक्त किलो में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किये जाने की अभिशषा की गई है

तहसीलदार एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट से पूर्णत्या स्पष्ट है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के प0न0 311/368 (51) के किला न0 3 ,4 मे मौका पर कोई खाला नही है ना ही इन किला में कोई खाला स्वीकृत किया गया है मात्र पूर्व सीएडी प्लान के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खाला दर्ज किया गया है चक प्लान रिवाईज्ड होकर उक्त किलो में खाला नही होने के कारण वादी का वाद पूर्णत्या साबित होता है वादी उक्त किलो की भूमि को मुमकिन करवाने का अधिकारी है

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से पाया की वादी वाद भूमि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 में ही गै0मु0 खाला दर्ज है अर्थात वादी की भूमि में से ही भूमि कम की जाकर गै0मु0 खाला के तौर पर दर्ज की गई है।

जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर खाला का निर्माण नही है ना ही मौका पर कोई खाला नही है जब सिचाई विभाग के द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है तो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खाला दर्ज करने का कोई औचित्य नही है क्योकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है इसलिये वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिये कम की गई भूमि को पूनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उक्त विवेचन एव तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। इसलिये वादी उक्त किलो में दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन करवा कर अपने खाता में बतौर मुमकिन खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220/178 के प0न0 31/368(51) के किला न0 3/1 की 0.0260हैक गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकीन कर किला न0 3/2 में शामिल कर किला न0 3 की 0.253हैक नहरी भूमि व किला न0 4/1 की 0.0260हैक गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 4/2 में शामिल किया जाकर किला न0 4 की 0.253हैक नहरी भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्ढव रिकार्ड में अकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 616 / 2023

अनवान : –

1. सुभाषचन्द्र पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

3. ओमप्रकाश पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. रेशमा पत्नी रिखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–तरतीबी **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 177 सन 2024 निर्णय दिनांक -07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 220 / 178 के प0न0 31 / 368(51) के किला न0 3 / 1 की 0.0260हैक गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकीन कर किला न0 3 / 2 में शामिल कर किला न0 3 की 0.253हैक नहरी भूमि व किला न0 4 / 1 की 0.0260हैक गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 4 / 2 में शामिल किया जाकर किला न0 4 की 0.253हैक नहरी भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्ढव रिकार्ड में अकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर